अनुक्रमणिका

ए.1	सामान्य	4
ए.2	विदेशी मुद्रा की बिक्री	5
ए.3	चिकित्सा	6
ए.4	सांस्कृतिक दौरे	7
ए.5	निजी दौरे	7
ए.6	व्यावसायिक दौरे	7
ए.7	विदेशी मुद्रा अभ्यर्पण अवधि	7
ए.8	व्यय न की गई विदेशी मुद्रा	8
ए.9	दौरा (टूर) व्यवस्था आदि के लिए विप्रेषण	9
ए.10	रुपए में भुगतान	10
ए.11	गारंटी जारी करना-सेवा का आयात	11
ए.12	निवासी व्यक्तियों के लिए 75,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना	12
ए.13	प्रलेखीकरण	15
ए.14	पासपोर्ट पर पृष्ठांकन	16
ए.15	अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड	16
ए.16	अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड	17
ए.17	स्टोर वैल्यू कार्डस्/ चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस्, आदि	17
ए.18	प्रिपेड ट्रेवेल काड्र्स की उपयोग न हुई शेष-राशि की पुन: प्राप्ति	18
ए.19	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण	18
ए॰20	आयकर बेबाकी प्रमाणपत्र	18
ए॰21	उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत एनआरआई/पीआईओ नजदीकी रिश्तेदार को ऋण देने (मंजूरी) की सुविधा	19
अनुबंध 1	विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली	20
अनुबंध 2	फार्म ए-2	27
अनुबंध 3	उदारीकृत विप्रेषण योजना के लिए आवेदन-व-घोषणा पत्र	36
अनुबंध 4	भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियां	38

अनुबंध 5	प्राधिकृत व्यापारियों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश	39
अनुबंध 6	उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विप्रेषण - प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां	43
परिशिष्ट 1	परिपत्रों की सूची	44
परिशिष्ट 2	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5	46

प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना

ए.1 सामान्य

1.1 विभिन्न चालू खाता लेनदेनों के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बेंकों को, विदेशी मुद्रा [1A] प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 ***(परिशिष्ट 2 की मद 1 में दर्शाए अनुसार)*** के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा दिशानिर्देशित होना है, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 (इसके बाद नियमावली के रूप में उल्लिखित) में दिए गए हैं जिन्हें 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰381(ई) (अनुबंध-I) के द्वारा अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुसूची I में सूचीबद्ध लेन-देनों की कतिपय श्रेणियों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। नियम की अनुसूची II में शामिल लेन-देनों की विनिमय सुविधा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत की जाए बशर्ते आवेदक ने उसमें दिए गए अनुसार लेन-देनों के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/ विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है। अनुसूची III में शामिल लेन-देनों के संबंध में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा मूल्यों तक विदेशी मुद्रा जारी करने के अधिकार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नियमों की अनुसूची III में निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सभी आवेदन रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक कार्य करता है/रहता है को, भेजे जाएं।

[1]1.2 "आहरण" में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड(आइसीससी), अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड(आइडीसी), एटीएम कार्ड, आदि का उपयोग शामिल है। [2]"मुद्रा" में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड शामिल है। तदनुसार, अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम तथा जारी किए गए निर्देश अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों और एटीएम कार्डों के उपयोग पर लागू हैं।

1.3 पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुविधा और सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि [2A]गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देन करने के लिए कतिपय संस्थाओं को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के रूप में लाइसेंस दिया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II निम्नलिखित गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने/विप्रेषण के लिए प्राधिकृत हैं:

---

[1] एफईएमसीएटी नियमावली का पैरा 2(डी)

[1A] इस मास्टर परिपत्र का परिशिष्ट 2

[2] फेमा 1999 की धारा 2 (एच)

[2A] 6 मार्च 2006 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25

(ए) निजी दौरे

(बी) टूर ऑपरेटरों/विदेशी एजेंटों को ट्रैवल एजेंट/प्रिंसिपल/होटेल द्वारा विप्रेषण।

(सी) व्यावसायिक दौरे

(डी) वैश्विक सम्मेलनों और विशेषीकृत प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए फीस

(ई) अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स/प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए (प्रशिक्षण, स्पांसरशिप और पुरस्कार राशि) विप्रेषण

(एफ) फिल्मों की शूटिंग

(जी) विदेशों में चिकित्सा कराना

(एच) कर्मचारियों (क्रू) की मजदूरी का संवितरण

(आई) विदेश में शिक्षा

(जे) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गठजोड़ के तहत विप्रेषण

(के) भारत और विदेशों में आयोजित परीक्षाओं और जीआरई, टीओईएफएल, आदि के एडिशनल स्कोर शीट की फीस के लिए विप्रेषण

(एल) रोज़गार और विदेशों में नौकरी के आवेदन की प्रोसेसिंग और एसेसमेंट फीस

(एम) उत्प्रवास और उत्प्रवास परामर्श फीस

(एन) उत्प्रवास के इरादे के लिए कौशल/ परिचय पत्र एसेसमेंट की फीस

(ओ) वीज़ा फीस

(पी) पुर्तगीज़/अन्य सरकारों द्वारा यथापेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस

(क्यू) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण/अभिदान/सदस्यता फीस

1.4 नेपाल और भूटान की यात्रा और उनके निवासियों के साथ लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना अनुमत नहीं है (नियमावली के नियम 3 का खंड (बी) देखें) (***परिशिष्ट-2[3] की मद 2 में दर्शाए अनुसार)।***

ए.2 विदेशी मुद्रा की बिक्री

[3A]2.1 प्राधिकृत व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान यात्री द्वारा ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में दी गई घोषणा के आधार पर यात्रा प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करें।

[3B]2.2 यात्री चेक जारी किए जाने के मामले में यात्री प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चेक पर हस्ताक्षर करें और यात्री चेक की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना रिकार्ड में रखी जाए।

2.3 [4]यात्री को बेची जा रही समग्र विदेशी मुद्रा में से विदेशी करेंसी नोट और सिक्के के रूप में निम्नलिखित सीमा के अनुसार विदेशी मुद्रा बेची जाए:

---

[3] पृष्ठ 46 पर दिया गया परिशिष्ट 2

[3A] 23 नवंबर 2001 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12

[3B] 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 का पैरा ए2(सी)

[4] 4 मई 2010 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.50

i) इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र देशों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्यों से इतर देशों में जानेवाले यात्री अधिकतम 3,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य।

ii) इराक अथवा लीबिया जानेवाले यात्री अधिकतम 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य।

iii) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र राज्यों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्य की यात्रा पर जानेवाले यात्रियों को पूर्ण विदेशी मुद्रा जारी की जाए।

2.4 [4A] विदेशी मुद्रा की बिक्री से संबंधित फार्म ए-2 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के साथ उनके आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापन के लिए एक साल तक रखा जाए। [5]तथापि, अधिकतम **25,000 अमरीकी डालर** तक के विविध गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देनों के विप्रेषण आवेदनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी **अनुबंध-2** में दर्शाए अनुसार **सरलीकृत आवेदन-व-घोषणा पत्र** (फार्म ए-2) प्राप्त करें।

2.5 जहां स्वयं की घोषणा पर विप्रेषण की अनुमति है, आवेदन में सही ब्योरे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जिसने ऐसे विप्रेषणों के प्रयोजनों के संबंध में ब्योरों को अभिप्रमाणित किया है।

ए.3 चिकित्सा

[6]3.1 निवासियों को विदेश में चिकित्सा के लिए बगैर किसी बाधा अथवा समय की बरबादी के विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल/ डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुमान प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना उसकी स्वयं की घोषणा[7] के आधार पर कि वह भारत के बाहर चिकित्सा के लिए विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, प्राधिकृत व्यापारी 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

[7A]3.2 उक्त सीमा से अधिक राशि के लिए भारत के या विदेशी डॉक्टर/अस्पताल से प्राप्त अनुमान प्राधिकृत व्यापारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

[7B]3.3 विदेश यात्रा में जाने के बाद बीमार पड़ गए व्यक्ति को भारत से बाहर चिकित्सा के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है।

ए.4 सांस्कृतिक दौरे

[8]नृत्य मंडली, कलाकार आदि, जो सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए विदेश का दौरा करना चाहते हैं, वे अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास (शिक्षा और संस्कृति विभाग) मंत्रालय में

[4A] 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के अनुबंध का पैरा ए.2(ई)

[5] 7 मई 2012 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 118

[6] 17 जुलाई 2003 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 3

[7] 12 सितंबर 2002 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17, एफईएम सीएटी

[7A] एफईएम सीएटी की अनुसूची III की मद संख्या 9

[7B] 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के अनुबंध का पैरा ए.3

आवेदन प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी, संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन एक सीमा तक विदेशी मुद्रा दे सकते हैं।

ए.5 निजी यात्राएं

[9]किसी व्यक्ति को निजी दौरे के लिए नियमावली की अनुसूची **III** में विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी की जा सकती है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए भारत से बाहर की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा ले रहा है।

ए.6 व्यावसायिक दौरे

[10]कारोबार करने अथवा सम्मेलन में सहभागिता अथवा विशेष प्रशिक्षण अथवा चिकित्सा अथवा जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के निर्वाह व्यय अथवा चिकित्सा / जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के साथ सहायक के रूप में जाने के लिए नियमावली की अनुसूची **III** में विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी की जाए।

ए.7 विदेशी मुद्रा सौंपने (अभ्यर्पण) की अवधि

[11]7.1 किसी विशेष प्रयोजन के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका उपयोग किसी अन्य पात्र प्रयोजन के लिए, जिसके लिए संबंधित नियमों/ विनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का आहरण अनुमत है, किया जा सकता है।

[12]7.2 किसी भी निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति / वसूली / खरीद / अधिग्रहण / यात्रा से लौटने की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्राप्त / वसूली गई / खर्च न की गई / उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा को, जैसा भी मामला हो, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने की सामान्य अनुमति है।

[13]7.3 180 दिनों की उदारीकृत समान समय-सीमा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए लागू है और वह भी माल और सेवाओं के निर्यात से अन्य क्षेत्रों में ।

[14]7.4 अन्य सभी मामलों में, विदेशी मुद्रा सौंपने के सभी विनिमय / निदेश अपरिवर्तित रहेंगे (समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 9/2000-आर बी)।

---

8 एफईएम सीएटी की अनुसूची II की एंट्री 1

9 एफईएम सीएटी की अनुसूची III की एंट्री 2

10 एफईएम सीएटी की अनुसूची III

11 18 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 58 का पैरा 2

12 फेमा 9 का विनियम 6ए

13 18 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 58 का पैरा 2

14 18 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 58 का पैरा 2

ए. 8 व्यय न की गई विदेशी मुद्रा

[15]8.1 जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यदि निवासी व्यक्ति खर्च न की गई विदेशी मुद्रा भारत में लाता है तो उसे यात्री की वापसी की तारीख से 180 दिन के भीतर किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपना होगा। व्यक्ति, इस प्रकार लाई गई विदेशी मुद्रा का उपयोग उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपनी बाद की विदेश यात्रा के लिए कर सकता है ।

8.2 फिर भी, वापस आनेवाला यात्री को कुल 2000 अमरीकी डॉलर की राशि तक के विदेशी मुद्रा यात्री चेक और विदेशी करेंसी नोट तथा असीमित विदेशी सिक्के, 180 दिनों के बाद भी, अपने पास रखने की अनुमति है (स्पष्टीकरण: 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.11/2000-आरबी)। यात्री इस प्रकार अपने पास रखी गई विदेशी मुद्रा का उपयोग अपनी बाद की विदेशी यात्रा के लिए कर सकता है।

[16]8.3 भारत में निवासी व्यक्ति, विदेश में दी गई सेवा के लिए प्राप्त भुगतान, मानदेय, उपहार, दी गई सेवाओं अथवा भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से किसी कानूनी देयता के भुगतान आदि किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंसी नोट, बैंक नोट अथवा यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा से भारत के प्राधिकृत व्यापारी के पास **निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता** खोल, रख या बनाए रख सकता है।

8.4 निवासी व्यक्ति माल और/अथवा सेवाओं के निर्यात, रॉयल्टी, मानदेय आदि, और/ अथवा नजदीकी रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम 1956 में दी गई परिभाषा के अनुसार) से प्राप्त उपहार आदि से अर्जित और निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा से भी खाता खोल सकता है/खाते में जमा कर सकता है।

[17]8.5 करेंसी नोट, बैंक नोट और यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा में से निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में जमा करने के लिए पात्र राशियां निम्नानुसार हैं:-

(i) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से अधिग्रहित और उसमें से खर्च न की गई रकम अथवा

(ii) भारत से बाहर किसी भी स्थान की यात्रा के दौरान सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त भुगतान हो परंतु जो भारत में किए गए किसी कारोबार अथवा किसी कार्य के लिए भुगतान न हो और मानदेय अथवा उपहार के रूप में अथवा

(iii) भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से उसकी भारत की यात्रा के दौरान उसके द्वारा मानदेय अथवा उपहार अथवा दी गई सेवा अथवा किसी कानूनी देयता के भुगतान स्वरूप प्राप्त।

[17A]**टिप्पणी:** *यदि कोई व्यक्ति 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद खर्च न की गई/उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा सौंपने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास आता है तो प्राधिकृत व्यक्ति केवल इस आधार पर विदेशी मुद्रा की खरीद से मना नहीं करेगा कि निर्धारित अवधि बीत गई है।*

---

[15] फेमा 9 का विनियम 6ए

[16] फेमा 10 का विनियम 5ए

[17] फेमा 10 का विनियम 5ए

[17A] 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के अनुबंध के पैरा ए.8 का नोट

ए.9 दौरा व्यवस्था आदि के लिए विप्रेषण

[17B]9.1 प्राधिकृत व्यापारी, यात्री के अनुरोध पर उसके द्वारा यात्रा के लिए प्रस्तावित देशों में अथवा भारत से यात्रियों के लिए यात्रा की अन्य व्यवस्थाओं हेतु होटल आवास, दौरा व्यवस्था आदि के लिए उचित सीमा तक विदेशी मुद्रा विप्रेषित कर सकते हैं, बशर्ते हर मामले में प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से खरीदी गई विदेशी मुद्रा (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से विप्रेषण किया जा रहा है।

9.2 प्राधिकृत व्यापारी, भारत में कार्यरत ऐसे एजेंटों के अनुरोध पर, जिनका विदेश में होटल/ एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है, भारत के यात्रियों के लिए होटल आवास अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था के लिए उन्हें प्रेषण भेज सकता है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण, संबंधित यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार खरीदी गई विदेशी मुद्रा (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से किया जा रहा है।

9.3 प्राधिकृत व्यापारी, भारत में उस एजेंट के नाम में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं जिसका भारत से आनेवाले यात्रियों को होटल आवास देने अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था करने के लिए विदेश के होटलों/एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है बशर्ते:

ए) खाते में रकम निम्नलिखित रूप में जमा की जाती है –

i) यात्री से विदेशी मुद्रा में संग्रह की गई रकम; और
ii) बुकिंग/दौरे की व्यवस्था आदि रद्द करने के कारण भारत के बाहर से लौटाई गई रकम; और

बी) विदेशी मुद्रा में नामे रकम भारत से बाहर उक्त पैरा 9.2 के अनुसार होटल आवास, दौरा व्यवस्था आदि के लिए किए गए भुगतान हेतु है।

[17C]9.4 प्राधिकृत व्यापारी, यात्रा आयोजकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर रेल/सड़क/जल की लागत/परिवहन प्रभार, एजेंट को देय कमीशन का निवल/ कीमत-लागत का अंतर भेजने के लिए अनुमति दे। भारत में पास / टिकटों की बिक्री भारतीय रुपयों अथवा विदेश यात्रा के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा में भुगतान पर की जा सकती है । भारतीय रुपयों में वसूली गई पास/ टिकटों की लागत को यात्री के निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है ।

[17B] 30 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के अनुबंध का पैरा ए.9

[17C] 24 नवंबर 2002 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 54 के अनुबंध का पैरा 1

[17D]9.5 किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अग्रिम भुगतान/प्रतिपूर्ति पर भारत और नेपाल, बांगला देश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए भारत की य्त्रा करने वाले विदेशी यात्रियों हेतु यात्रा एजेंटें द्वारा ऐसी समेकित यात्रा व्यवस्था के लिए भारत में प्राप्त विदेशी मुद्रा के अंश को भारत से इन पड़ोसी देशों में यात्रा एजेंटों और होटल मालिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन देशों को भेजने की आवश्यकता है। प्राधिकृत व्यापारी इस बात का सत्यापन करने के पश्चात कि पड़ोसी देशों में भेजी जानेवाली राशि (यात्रा के लिए यदि पहले कोई राशि भेजी गयी हो तो उसे शामिल कर के) भारत को वास्तविक रूप से भेजी गयी राशि से अधिक नहीं है और हिताधिकारी के निवास का देश पाकिस्तान नहीं है, प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

[17E]ए.10 रुपये में भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी, विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए) हेतु विदेशी मुद्रा की बिक्री पर 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) तक नकद रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। यदि विदेशी मुद्रा की बिक्री की रकम 50,000 रुपये के समतुल्य रकम से अधिक हो जाती है तो भुगतान केवल

(i) आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा

(ii) आवेदक के दौरे को प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा

(iii) बैंकर चेक / भुगतान आदेश / डिमांड ड्रॉफ़्ट, अथवा

(iv) डेबिट/क्रेडिट/प्री-पेड कार्ड बशर्ते

ए) अपने ग्राहक को जानिए/एएमएल दिशानिर्देशों का पालन किया गया हो

बी) विदेशी मुद्रा की बिक्री/विदेशी मुद्रा का निर्गम /यात्री चेक, बैंक द्वारा निर्धारित सीमा (क्रेडिट कार्ड/प्री-पेड कार्ड) के भीतर हों और

सी) विदेशी मुद्रा क्रेता /विदेशी मुद्रा यात्री चेक तथा क्रेडिट/ डेबिट /प्री-पेड कार्ड धारक एक वही व्यक्ति हो ।

*[17F]**टिप्पणी :**-जहां पर किसी एकल यात्रा/भ्रमण के लिए किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक बार किए गए आहरणों को मिलाकर कुल आहरित विदेशी मुद्रा के समतुल्य रकम 50,000 रुपये से अधिक हो तो उसका भुगतान चेक अथवा ड्रॉफ़्ट, द्वारा किया जाए।*

[17D] 24 नवंबर 2002 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 54 के अनुबंध का पैरा 2

[17E] 10 दिसंबर 2008 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 40

[17F] 30 अक्तूबर 2000 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.19 के पैरा ए10 का नोट

[18]ए.11 गारंटी जारी करना - सेवाओं का आयात

सेवाओं के आयात की प्रक्रिया (सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/उपक्रम को छोड़कर) को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने की 100,000 अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 500,000 अमरीकी डालर कर दिया जाए।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंकों को, सेवा का आयात करने वाले निवासी ग्राहक की ओर से, अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में 500,000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक की गारंटी जारी करने की अब अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते:-

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हो;

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक सेवाओं के आयात के लिए दस्तावेजी सबूत की सामान्य अवधि में प्रस्तुति को सुनिश्चित करता हो; तथा

(सी) गारंटी निवासी और अनिवासी के बीच संविदा से होनेवाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता की सुरक्षा के लिए हो।

यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई विभाग/उपक्रम हो, तो 100,000 अमरीकी डालर (एक सौ हजार अमरीकी डालर मात्र) अथवा उसके समतुल्य से अधिक रकम के लिए गारंटी जारी करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

गारंटी मांगने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (EPD), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को भेजना है जिसके कारण गारंटी मांगने की आवश्यकता पड़ी।

[19]ए.12 निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत, 75,000 अमरीकी डॉलर की विप्रेषण योजना

12.1 इस उदारीकृत विप्रेषण योजना (इसके बाद योजना के रूप मे उल्लिखित) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी, अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेन-देन अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा 75,000 अमरीकी डालर के विप्रेषण की मुक्त रूप से अनुमति दे सकते हैं।

[19A]12.2 यह योजना अवयस्कों सहित समस्त निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध है। यदि विप्रेषक अवयस्क हो तो एलआरएस घोषणा फार्म अवयस्क के असली (Natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए ।

---

[18] 5 अक्तूबर 2009 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.11

[19] 26 सितंबर 2007 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.9

[19A] 6 मार्च 2012 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.90

[19B]12.3 परिवार के सदस्यों द्वारा योजना के नियम व शर्तों के अनुपालन पर परिवार के सदस्यों के संबंध में इस सुविधा के तहत विप्रेषणों का समेकन किया जा सकता है ।

12.4 इस योजना के तहत केवल अनुमत चालू अथवा पूंजी लेखा लेनदेनों अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए विप्रेषण की अनुमति दी जाती है। अन्य सभी लेनदेन, जो फेमा के तहत अन्यथा अनुमत नहीं हैं और वे जो समुद्रपारीय मंडियों (एक्स्चेजों)/समुद्रपारीय प्रतिपक्ष को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए विप्रेषण के स्वरूप के हैं, के लिए इस योजना के तहत अनुमति नहीं है।

[19D]12.5 इस योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता है कि वे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत से बाहर शेयर अथवा ऋण लिखत अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति अधिग्रहीत कर सकते हैं/धारण कर सकते हैं और रख सकते हैं।

[19D]भारत से बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विप्रेषण करने हेतु यह योजना 14 अगस्त 2013 से उपलब्ध नहीं है। [19E]तथापि, अचल संपत्ति के अधिग्रहण/अर्जन के लिए पहले से ही की गयी संविदाओं (contracts) के मामले में निवासी व्यक्तियों को 75000 अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा में विप्रेषण करने की अनुमति है, अर्थात केवल उन संविदाओं (contracts) के लिए जो 14 अगस्त 2013 को अथवा उससे पहले की गई हों तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हों। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में कार्योत्तर रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को तुरंत भेजी जाए।

12.6 इस योजना के तहत 75,000 अमरीकी डॉलर की सीमा में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार और दान के लिए किए गए प्रेषणों को भी शामिल किया जाएगा।

[19C]12.7 इस योजना के तहत किए जाने वाले विप्रेषणों का उपयोग कला और शिल्प की वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता है बशर्ते लागू अन्य कानूनों तथा भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का अनुपालन होता हो।

12.8 इस योजना का उपयोग कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना(इएसओपी) के अधिग्रहण हेतु निधियों के विप्रेषण के लिए भी किया जा सकता है। यह योजना एडीआर /जीडीआर से जुड़ी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधिग्रहण और क्वालिफिकेशन शेयरों के अधिग्रहण के अतिरिक्त है।

[19B] 6 मार्च 2012 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.90

[19D] 14 अगस्त 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.24

[19D] 14 अगस्त 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.24

[19E] 4 सितंबर 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32

[19C] 6 मार्च 2012 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.90

12.9 निवासी व्यक्ति को [कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार] अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के अपने घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार को रुपये में उपहार/ऋण देने की अनुमति दी गई है। ऐसे उपहार/ऋण की राशि प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 75,000 अमरीकी डॉलर की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किसी निवासी व्यक्ति के लिए अनुमत है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निवासी दान-दाता/उधारदाता की होगी कि विप्रेषित उपहार/ऋण की राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत हो तथा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपहार/ऋण की राशि सहित उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत सभी प्रकार की विप्रेषित राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र सीमा से अधिक न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए विप्रेषक द्वारा केवल उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत उपलब्ध सीमा का उपयोग किया जाए और उपहार/ऋण की राशि, जैसा भी मामला हो, वास्तव में घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाएगी।

12.10 इस योजना के तहत निवासी व्यक्ति, म्युचुअल फंड के यूनिटों, वेंचर फंडों, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोटों आदि में निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निवासी व्यक्ति ऐसी प्रतिभूतियों में योजना के तहत विदेश में खोले गये बैंक खाते से अलग निवेश कर सकता है (देखें 12.13)।

12.11 कोई व्यक्ति, जिसने अनिवासी के रूप में विदेश में ऋण लिया हो वह निवासी के रूप में भारत में वापस लौट आने पर इसे उसे लौटा सकता है।

12.12 डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जावक विप्रेषणों के लिए या तो निवासी व्यक्ति के स्वयं के नाम में या फिर उस हिताधिकारी के नाम जिसके जरिये अपनी निजी विदेश यात्रा के समय अनुमत लेनदेन करना चाहता हो, प्रेषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं की घोषणा पर योजना का प्रयोग किया जा सकता है ।

[19D]12.12ए यह योजना 75,000 अमरीकी डॉलर की सीमा के भीतर 5 अगस्त 2013 से निवासी व्यक्तियों द्वारा फेमा अधिसूचना सं. 263 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत के बाहर सद्भावी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ज्वाइंट वेंचर (जेवी)/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाएँ (डब्लूओएस) स्थापित करने के लिए उपयोग में लायी जा सकती है।

12.13 व्यक्ति, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर, इस योजना के अधीन विप्रेषण के लिए भारत से बाहर स्थित बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विप्रेषणों से होनेवाले अथवा उससे संबंधित सभी लेन-देनों को रखने के लिए विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग किया जा सकता है।

12.14 बैंक इस योजना के तहत विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधाएं उपलब्ध न कराएं।

[19D] 14 अगस्त 2013 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.24

12.15 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की विशेष रूप से अनुसूची-I अथवा अनुसूची-II के तहत निषिद्ध किसी प्रयोजन के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है।

12.16 भूटान, नेपाल, मॉरीशस और पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विप्रेषण करने के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है ।

12.17 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) द्वारा असहयोगी देशों के रूप में पहचाने गए देशों और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की वेबसाइट www.fatf-gafi.org पर यथा-उपलब्ध अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित देशों को विप्रेषण करने के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है।

12.18 निवासी व्यक्ति योजना के तहत लेनदेन करने के लिए **अनुबंध-3** में दिए गए आवेदन व घोषणा फार्म का उपयोग करें। **योजना के तहत विप्रेषण के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) होनी अनिवार्य है ।**

12.19 निवेशक, जिसने उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निधियों का विप्रेषण किया है, उन्हें रख सकता है, किए गए निवेश पर अर्जित आय का पुनर्निवेश कर सकता है।

12.20 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे **अनुबंध-6 के रूप में संलग्न संशोधित फार्मेट** में, मासिक आधार पर सूचना संबंधित माह के अगले माह की पांच तारीख अथवा उससे पहले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफआईडी-ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करें। विवरण की एक सॉफ्ट प्रति (एक्सेल फार्मेट में) ई-मेल द्वारा भी भेजी जाए। यह विवरण संशोधित फॉर्मेट में ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के जरिये प्रेषित किया जाये जिसके लिए सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि केवल सॉफ्ट फॉर्म में डेटा प्राप्त किया जाए तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा मासिक विवरणों के रूप में हार्ड प्रतियों की प्रस्तुति को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार, 1 जुलाई 2013 से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे डेटा को (जून 2013 का एलआरएस डेटा) अनुवर्ती माह की पाँच तारीख से पहले या तक ओआरएफएस में अपलोड करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि जहां प्रस्तुति के लिए कोई आंकड़े न हों, वहां भी वे ओआरएफएस प्रणाली में “कुछ नहीं (NIL)” आंकड़े अपलोड करें।

[20]ए.13 प्रलेखीकरण

13.1 सामान्यतः रिज़र्व बैंक प्रलेखों का निर्धारण नहीं करेगा जिसे विदेशी मुद्रा जारी करने के समय प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित किया जाना है। इस संबंध में, प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5) (***परिशिष्ट 2 की मद 3 में दर्शाए अनुसार***) की ओर आकर्षित किया जाता है जो यह प्रावधान करता है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा होगी कि विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने का इच्छुक व्यक्ति एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे और ऐसी सूचना दे जो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट कर सके कि लेन-देन फेमा के प्रावधनों अथवा उसके अंतर्गत जारी किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा उससे बचने के प्रयोजन से नहीं किया गया है।

---

[20] 16 मई 2000 का एडी. एमए. परिपत्र सं.11 के अनुबंध-I का पैरा 8

13.2 प्राधिकृत व्यापारियों से यह भी अपेक्षा है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए ऐसी सूचना/ प्रलेखीकरण का रेकार्ड रखें जिसके आधार पर लेनदेन किया गया है। यदि आवेदक ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने से मना करता है अथवा उसका असंतोषजनक अनुपालन करता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे लेनदेन करने से लिखित रूप में मना कर सकता है तथा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति का उल्लंघन/ अपवंचन का इरादा है तो उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दे।

13.3 प्राधिकृत व्यापारी को विशेष रूप से यह सूचित किया गया है कि वे किसी समर्थक दस्तावेज़ की मांग न करते हुए किन्तु लेन-देनों के कतिपय मूल ब्योरों को शामिल करते हुए स्वघोषणा और फार्म ए-2 के प्रस्तुतीकरण के आधार पर विदेश में रोज़गार, इमिग्रेशन, विदेश में रहनेवाले नज़दीकी संबंधियों के जीवन निर्वाह, विदेश में शिक्षा अथवा चिकित्सा के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा जारी करें। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की एक से अधिक निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी करने की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।

[21]ए.14 पासपोर्ट पर पृष्ठांकन

प्राधिकृत व्यापारी के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह विदेश यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा की रकम व्यक्ति के पासपोर्ट में पृष्ठांकित करें। परंतु यात्री के अनुरोध पर वे अपनी मोहर, तारीख हस्ताक्षर के साथ और यात्री को बेची गई विदेशी मुद्रा को दर्ज करे।

ए.15 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

[22]15.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 5 में दिए गए प्रतिबंध निवासियों द्वारा भारत से बाहर दौरे पर रहते समय खर्चों का भुगतान करने के लिए उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगी।

15.2 निवासी, इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन, जिसके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है यथा पुस्तकों के आयात, डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर की खरीद अथवा विदेशी व्यापार नीति के अधीन अनुमति के योग्य किसी अन्य मदों के आयात लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

15.3 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसी निषिद्ध वस्तुओं की खरीद, घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉल बैंक सर्विस हेतु भुगतान आदि के लिए इंटरनेट पर अथवा अन्यथा नहीं किया जा सकता है चूंकि ऐसी मदों/ कार्यकलापों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण की अनुमति नहीं है।

---

[21] 16 नवंबर 2000 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.20

[22] 27 जून 2002 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.53

15.4 इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[23]15.5 वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अंतर्गत यथाअनुमत भारत में अथवा विदेश स्थित बैंक में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता रखनेवाले निवासी व्यक्ति विदेशी बैंकों और अन्य ख्यातिप्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी अंतरराष्टीय क्रेडिट कार्ड (आइसीसी) प्राप्त कर सकते हैं। भारत या विदेश में क्रेडिट कार्ड पर हुए खर्चे कार्ड धारक के ऐसे विदेशी मुद्रा खाता/ खाते में रखी गई निधियों अथवा प्रेषणों, यदि कोई हो, के माध्यम से भारत से केवल उसी बैंक के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं जहां कार्ड धारक का चालू अथवा बचत खाता है। इस प्रयोजन के लिए विप्रेषण कार्ड जारी करनेवाली एजेंसी को सीधे किया जाए और किसी तीसरी पार्टी को नहीं।

15.6 लागू ऋण सीमा कार्ड जारी करेनवाले बैंक द्वारा निर्धारित सीमा होगी। इस सुविधा के अंतर्गत प्रेषणों के लिए, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[23A]15.7 नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग की अनुमति नहीं है।

ए.16 अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

[24]16.1 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं जिसका उपयोग निवासी अपने विदेश दौरे में विदेश में नकदी आहरण अथवा व्यापारी प्रतिष्ठान में भुगतान के लिए कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों की अनुसूची में उल्लिखित मदवार सीमाएं इन कार्डों के उपयोग के माध्यम से किए गए भुगतानों पर समान रूप से लागू हैं।

16.2 अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसे निषिद्ध वस्तुओं की खरीद घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉलबैक सर्विसेज़ हेतु भुगतान आदि अर्थात् ऐसी मदें/ क्रियाकलाप, जिसके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है के लिए इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है।

16.3 एक कैलेंडर वर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड धारक द्वारा 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के समग्र विदेशी मुद्रा के उपयोग के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/विदेशी मुद्रा विभाग को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता था। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2010 के आगे से यह विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

---

[23] 21 मई 2003 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 103

[23A] एफईएम सीएटी के नियम 3(बी) और (सी) के साथ पठित नियम 2(बी)

[24] 14 जून 2005 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.44

ए.17 स्टोर वैल्यू कार्डस्/ चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस् आदि

[25]निजी/ व्यापारिक दौरे पर विदेश की यात्रा करनेवाले निवासियों को कतिपय प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्टोर वैल्यू कार्डस्/चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस् भी जारी करते हैं जिसका उपयोग समुद्रपारीय व्यापार प्रतिष्ठानों में भुगतान साथ ही एटीएम टर्मिनल से नकदी आहरण के लिए किया जाता है। ऐसे कार्डस् जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, ऐसे कार्डस् का उपयोग अनुमत चालू खाता लेन-देनों तक सीमित है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन है।

ए.18 प्रीपेड ट्रैवेल कार्ड की उपयोग न की गयी राशि का भुगतान

कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा अनुसरित प्रणाली के अनुसार **ट्रैवेल** कार्ड के क्रेता निवासी भारतीयों को **कार्डगत** विदेशी मुद्रा शेष की उपयोग न की गयी राशि, उससे किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 10 दिनों के बाद वापस **प्राप्त** करने की अनुमति **दी जाती है** और तदनुसार यह शर्त ``युज़र गाइड" में बतायी गयी है। चूँकि ये कार्ड नकदी/यात्री चेक के बदले लेनदेन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अत: उपयोगकर्ता को उपलब्ध सुविधा भी तदनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार, निवासी भारतीयों को जारी इन कार्डों में से शेष रही राशि के नकदीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों को ऐसे सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा, निम्नलिखित को छोड़कर, तुरंत अदा करनी होगी :

ए) अधिकृत किंतु अदावाकृत रही/अर्जक द्वारा संबंधित निपटान चक्र के पूरा होने तक निपटान के लिए **भुगतान की तारीख तक** बकाया रही राशि ;

बी) संबंधित निपटान चक्र के पूरा न होने तक पाइपलाइनगत लेनदेनों को पूरा करने के लिए लघु राशि जो 100 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगी; और

सी) भारत में रुपये में देय लेनदेन शुल्क / सेवा कर ।

डी) ऐसी राशि जो अधिकृत है किंतु अर्जक द्वारा अदावाकृत/जिसका निपटान नहीं किया गया है, उसके संबंध में ऐसे कार्डों का जारीकर्ता उतनी राशि तब तक के लिए रोक कर रख सकता है जब तक अर्जक द्वारा विनिर्दिष्ट निपटान समयावधि में ऐसे लेनदेन प्रक्रियागत/निपटान के अधीन है।

ए.19 कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण

[26]किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा जिसमें विदेशी धारिता 51% से कम नहीं है, के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक को उपर्युक्त योजना के अधीन बगैर किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण की अनुमति है। वे शेयरों की बिक्री के लिए भी स्वतंत्र हैं बशर्ते उसकी प्राप्तियों को भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

---

[25] 14 जून 2005 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.44

[26] 17 अप्रैल 2004 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.86

ए.20 आयकर की अदायगी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेटों में विप्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को विप्रेषण की अनुमति देगा।

ए.21 उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को उसके नजदीकी रिश्तेदार द्वारा ऋण प्रदान करने की सुविधा

निवासी व्यक्ति को अपने घनिष्ठ रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित रिश्तेदार) अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को रेखित(क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण के मार्फत उधार देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी गयी है:-

(i) ऋण ब्याज मुक्त है तथा ऋण की न्यूनतम परिपक्वता/अदायगी अवधि एक वर्ष है;

(ii) किसी निवासी व्यक्ति के लिए यह ऋण राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विप्रेषण के लिए उपलब्ध 75,000 अमरीकी डालर की समग्र सीमा में होनी चाहिए। यह उधार देने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऋण की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत 75,000 अमरीकी डालर की सीमा के अंदर हो;

(iii) यह ऋण राशि उधार लेने वाले व्यक्ति के भारत में निजी प्रयोजनों या स्वयं के कारोबार (बिजनेस) के लिए उपयोग की जाएगी;

(iv) यह ऋण राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी जिनमें भारत से बाहर के व्यक्ति द्वारा निवेश पर रोक हैं, अर्थात;

(ए) चिट फंड के कारोबार, या

(बी) निधि कंपनी, या

(सी) कृषि या प्लांटेशन गतिविधियां या रियल इस्टेट गतिविधियाँ या फार्म हाउस के निर्माण, या

(डी) स्थानांतरणीय विकासात्मक अधिकारों (TDRs) की ट्रेडिंग के लिए ।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त मद सं. (सी) के प्रयोजन के लिए, रियल इस्टेट कारोबार में टाउनशिप का विकास, आवासीय/कमर्शियल परिसर, सड़क तथा पुलों का निर्माण शामिल नहीं होगा।

(v) ऋण राशि अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाए। ऐसी ऋण राशि को एनआरओ खाते में जमा होने योग्य राशि माना जाए;

(vi) ऋण राशि भारत से बाहर विप्रेषित नहीं की जाएगी;

(vii) ऋण उधारकर्ता द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत आवक विप्रेषणों से अथवा उधारकर्ता के एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर खाते को नामे करके अथवा ऐसे ऋण की मंजूरी जिन शेयरों या प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति की जमानत पर दी गयी हो, की बिक्री से हुई आमदनी से अदा किये जाएंगे ।

अनुबंध- 1

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना जीएसआर 381 (ई) (समय-समय पर यथा संशोधित)*:-

केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 तथा धारा 46 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके, लोक हित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2.परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(ए) "अधिनियम" का अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(बी) "आहरण" का अभिप्राय किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण है और जिससे साख पत्र खोलना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा देयता उत्पन्न होती है, शामिल है;

(सी) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों से संलगन अनुसूची है;

(डी) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियममें परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3.विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करना निषिद्ध है , अर्थात्

ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन; अथवा

बी) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; अथवा

सी) नेपाल या भूटान में निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेन-देन;

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह विशेष या साधारण आदेश द्वारा अनुबद्ध करना आवश्यक समझे, खंड (सी) के निषेध में छूट दे।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है ।

5. **रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :-** कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है।

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी (ईईएफसी) खाते से आहरण को अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3, 4, 11, 16 और 17, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. **भारत के बाहर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग**
भारत के बाहर यात्रा पर रहते हुए किए गए व्यय के लिए व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 की कोई बात लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1

लेन देन, जिनकी मनाही है
(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से विप्रेषण ।

2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य /शौक से हुई आय का विप्रेषण ।

3. लाटरी टिकट, प्रतिबंधित/ गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं की खरीद, फ़ुटबाल पूल, घुड़ दौड़ में दांव लगाने आदि के लिए विप्रेषण।

4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।

5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश विप्रेषण जिसको लाभांश संतुलन की अपेक्षा लागू है।

6. चाय और तंबाकू के निर्यातों के बीजक मूल्य के 10% कमीशन को छोड़कर रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।

7. दूरभाष के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान ।

8. अनिवासी विशेष रुपए खाते में रखी निधियों पर ब्याज की आय से विप्रेषण।

अनुसूची - II

लेनदेन, जिन्हें केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है

(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	**भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है।**
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सीआईएफ के आधार पर (अर्थात एफ.ओ.बी. और एफ.ए.एस. पर आधारित को छोड़कर) समुद्र परिवहन के जरिए आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित एजेंटों को विप्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. निम्नलिखित द्वारा ट्रांसपाडर के किराए का प्रेषण (ए) टीवी चैनल (बी) इंटरनेट सेवा	 सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रभार से अधिक दर का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8 हटा दिया गया।	
9. यदि 100,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि शामिल है तो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में पुरस्कार राशि/ खेल कार्यकलाप के खर्च का विप्रेषण	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग)
10. हटा दिया गया।	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए विप्रेषण	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III

(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक बार निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।
3. प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का उपहार विप्रेषण ।
4. (i) प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डालर से अधिक का दान।

(ii) कार्पोरेटस् द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके विदेशी मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत से अधिक अथवा 5,000,000 अमरीकी डालर, जो भी कम है, निम्नलिखित के लिए दान:-

(ए) प्रख्यात शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यक्षों का निर्माण;

(बी) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित निधियों (निवेश निधि नहीं) के लिए, और

(सी) दाता कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में किसी तकनीकी संस्था अथवा निकाय अथवा सहयोगी को ।

स्पष्टीकरण :- मद सं. 3 और 4 के प्रयोजन के लिए, उपहार का विप्रेषण और निवासी व्यक्तियों द्वारा दान उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत शामिल किया गया है ।

5. रोज़गार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
6. 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या देश में उत्प्रवास के लिए निर्धारित रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए विप्रेषण : @@

(i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसके निवल वेतन से अधिक (कर कटौती, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

(ए) जो पाकिस्तान से भिन्न किसी विदेशी राज्य का नागरिक है; अथवा

(बी) भारत का नागरिक हैं, जो ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है।

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता प्रति वर्ष 100,000 अमरीकी डालर से अधिक।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के कारण (अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी निवास की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।

8. कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में भाग लेने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ्य की जाँच कराने या चिकित्सा/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान दिए बगैर 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

9. विदेश में चिकित्सा के खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा जारी करना जो भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक है।

10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डालर, प्रति शैक्षणिक वर्ष, जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के लिए 25,000 अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक विप्रेषण प्रति लेन-देन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश में एजेंट को कमीशन।

12. हटा दिया गया

13. हटा दिया गया

14. हटा दिया गया

15. मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डालर से अधिक और भारत के बाहर से प्राप्त की गई अन्य परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 1,000,000 का विप्रेषण।

स्पष्टीकरण:- इस मद संख्या के प्रयोजन के लिए मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजना निम्नलिखित के संबंध में है –

(i) ऊर्जा

(ii) दूरसंचार

(iii) रेलवेज्

(iv) पुलों सहित रास्ते

(v) बंदरगाह तथा हवाई अड्डा

(vi) औद्यौगिक पार्क, और

(vii) शहरी मूलभूत संरचना क्षेत्र (जल आपूर्ति, सफाई, जल-मल निकासी)

16. हटा दिया गया।

17. पूर्व निगमन व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए भारत में किसी कंपनी द्वारा भारत में लाये गये निवेश के पाँच प्रतिशत से अधिक अथवा 100,000 अमरीकी डालर, जो भी उच्चतर है, का विप्रेषण।

18. हटा दिया गया

(संशोधन)

17 अगस्त, 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.663(E)

30 मार्च, 2001 की एस.ओ.301 (E)

2 नवंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.442(E)

20 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.831(E)

16 जनवरी, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.33(E)

14 मई, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.397(E)

11 सितंबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.731(E)

29 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.849(E)

13 सितंबर, 2004 की अधिसूचना जी.एस.आर.608(E)

28 जुलाई, 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.512(E)

11 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.412(E)

28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.511(E)

22 मई, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर.349(E)और

05 मई, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर.382(E)

कृपया नोट करें:

@@ 14 जनवरी, 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6 के साथ पढ़ा जाए।

अनुबंध - 2

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए 2.4)

फार्म - ए2

आवेदन-व-घोषणा फार्म

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

फार्म ए2

(आयात और मध्यवर्ती व्यापार (intermediary trade) से भिन्न
भुगतानों के लिए)

ए.डी. कोड नं.:______________________

फार्म नं.:___________________________

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाए)

क्रमांक:____________________________

करेंसी:-------------------राशि: ------------------

रु.------------------------के समतुल्य

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाए)

विदेश में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

मैं/हम____

(विप्रेषण करने वाले आवेदक का नाम)

____

{प्राधिकृत व्यापारी (ए.डी.) शाखा का नाम}

अपने/हमारे बचत बैंक/चालू/आरएफसी/ईईएफसी एकाउंट नं.--------------------------- से आपके प्रभारों सहित निम्नलिखित प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करता हूं/करती हूं/करते हैं:

*ए) ड्राफ्ट जारी करें: हिताधिकारी का नाम ________________________________
पता ____

*बी) विदेशी मुद्रा विप्रेषण सीधे भेजें -

1. हिताधिकारी का नाम ______________________________
2. बैंक का नाम और पता_________________________________
3. खाता सं. _______________________

*सी) _____________________________________ के लिए ट्रैवलर्स चेक जारी करें

*डी) ___________________________________के लिए विदेशी मुद्रा नोट जारी करें

*(जो लागू न हो उसे काट दें)

(विप्रेषक उचित प्रयोजन कोड के समक्ष सही का निशान (√) लगाएं। द्विविधा/कठिनाई होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक से परामर्श करें)।

(हस्ताक्षर)

नाम:

दिनांक :

क्रमांक	प्रयोजन समूह का नाम	प्रयोजन कोड	ब्योरा
संलग्नक के अनुसार			

घोषणा

(फेमा, 1999 के अधीन)

मैं, ____ घोषित करता/करती हूं कि -

* 1) इस कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों के माध्यम से खरीदी गई अथवा भेजी गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि इस आवेदन पत्र सहित उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित____________अमरीकी डॉलर(______________________________ अमरीकी डॉलर मात्र) की वार्षिक सीमा के अंदर है।

* 2) आपसे खरीदी गई विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए है।

*(जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

नाम _________________

दिनांक :

फार्म ए2 का संलग्नक (Annex)

FETERS के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्रयोजन कोड

ए. भुगतान का प्रयोजन (बीओपी फाइल में प्रयोग करने के लिए)

ग्रुप नं.	**प्रयोजन ग्रुप का नाम**	**प्रयोजन कोड**	**ब्योरा**
0	पूंजी लेखा (कैपिटल एकाउंट)	एस0017	अनुत्पादित गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन (पैटेंट, कापी राइट, ट्रेड मार्क आदि जैसी अगोचर परिसंपत्तियों की खरीद, सरकार द्वारा अर्जित भूमि, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग)- सरकारी
		एस0019	अनुत्पादित गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन (पैटेंट, कापी राइट, ट्रेड मार्क आदि जैसी अगोचर परिसंपत्तियों की खरीद, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग)- गैर-सरकारी
		एस0026	पूंजी अंतरण(गारंटियों के भुगतान, सरकार/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी गई निवेश-सहायता, अपवादात्मक रूप से बड़े गैर जीवन बीमा दावे)- सरकारी
		एस0027	पूंजी अंतरण(गारंटियों के भुगतान, गैर सरकारी संगठनों द्वारा दी गई निवेश-सहायता, अपवादात्मक रूप से बड़े गैर जीवन बीमा दावे)- गैर-सरकारी
		एस0099	अन्यत्र शामिल न किए गए अन्य पूंजीगत भुगतान
	वित्तीय लेखा (फाइनेंशियल एकाउंट)		
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	एस0003	विदेश में ईक्विटी शेयरों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश (शाखाओं तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में)
		एस0004	विदेश में कर्ज (डेट) लिखतों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश (सहा यक और सहयोगी (असोसिएट) कंपनियों में
		एस0005	विदेश में रियल इस्टेट में भारतीय निवेश
		एस0006	समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा भारत में ईक्विटी शेयरों में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन
		एस0007	समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा भारत में कर्ज (डेट) लिखतों में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन
		एस0008	समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा भारत में रियल इस्टेट में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन
	विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश	एस0001	विदेश में ईक्विटी शेयरों में भारतीय संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश
		एस0002	विदेश में कर्ज (डेट) लिखतों में भारतीय संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश
		एस0009	समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा भारत में ईक्विटी शेयरों में किए गए संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश का प्रत्यावर्तन
		एस0010	समुद्रपारीय निवेशकों द्वारा भारत में कर्ज (डेट) लिखतों में किए गए

			संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश का प्रत्यावर्तन
	बाह्य वाणिज्यिक उधार	एस0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण
		एस0012	अनिवासियों से प्राप्त दीर्घावधि और मध्यावधि ऋणों, जिनकी मूल परिपक्वतावधि एक वर्ष से अधिक थी, की अदायगी
	अल्पावधि ऋण	एस0013	अनिवासियों से प्राप्त अल्पावधि ऋणों, जिनकी मूल परिपक्वतावधि एक वर्ष तक थी, की अदायगी
	बैंकिंग कैपिटल	एस0014	अनिवासी जमाराशियों [एफसीएनआर(बी)/एनआर(ई) आरए आदि] का प्रत्यावर्तन
		एस0015	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उनके अपने खाते पर लिए गए ऋणों तथा ओवरड्राफ्टों की अदायगी
		एस0016	किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा की बिक्री
	वित्तीय डेरिवेटिव और अन्य	एस0020	वित्तीय डेरिवेटिव लेनदेनों के तहत मार्जिन भुगतान, प्रीमियम भुगतान तथा निपटान राशि, आदि के कारण की गयी अदायगी
		एस0021	कर्मचारी स्टॉक विकल्प(ESOP) के तहत शेयर (रों) की बिक्री के कारण की गयी अदायगी
		एस0022	भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआरएस) में निवेश
		एस0023	व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत किए गए विप्रेषण
	बाह्य सहायता	एस0024	भारत द्वारा प्रदान की गयी बाह्य सहायता अर्थात विभिन्न करारों के तहत भारत द्वारा विदेशी सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम
		एस0025	भारत द्वारा प्राप्त बाह्य सहायता के बाबत की गयी अदायगी
1	परिवहन	एस0201	भारत में परिचालन करने वाली विदेशी नौवहन कंपनियों द्वारा बचे हुए(surplus) मालभाड़े/यात्री किराये के बाबत भुगतान
		एस0202	विदेशों में परिचालन करने वाली भारतीय नौवहन कंपनियों के परिचालनगत खर्चों के लिए भुगतान
		एस0203	आयातों के बाबत मालभाड़ा - नौवहन कंपनियां
		एस0204	निर्यातों के बाबत मालभाड़ा - नौवहन कंपनियां
		एस0205	परिचालन के लिए पट्टे/किराए पर लिए गए (क्रू के साथ) नौवाहन (जहाज) का किराया - नौवहन कंपनियां
		एस0206	विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - नौवहन कंपनियां
		एस0207	भारत में परिचालन करने वाली विदेशी हवाई कंपनियों द्वारा बेशी भाड़े/ यात्री किराये के लिए भुगतान
		एस0208	विदेश में परिचालन करने वाली भारतीय हवाई कंपनियों के परिचालनगत खर्चे
		एस0209	आयातों पर मालभाडा - हवाई कंपनियां
		एस0210	निर्यातों पर मालभाडा - हवाई कंपनियां

		एस0211	परिचालनात्मक लीजिंग / जहाज का किराया (क्रू के साथ) हवाई कंपनियां
		एस0212	विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - हवाई कंपनियां
		एस0214	जहाजी कुली, विलंब शुल्क, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, आदि के कारण भुगतान (नौवहन कंपनियां)
		एस0215	जहाजी कुली, विलंब शुल्क, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, आदि के कारण भुगतान (हवाई कंपनियां)
		एस0216	यात्रियों के लिए भुगतान - नौवहन कंपनियां
		एस0217	नौवहन कंपनियों द्वारा अन्य भुगतान
		एस0218	यात्रियों के लिए भुगतान - हवाई कंपनियां
		एस0219	हवाई कंपनियों द्वारा अन्य भुगतान
		एस0220	परिवहन के अन्य प्रकारों के तहत भाड़े के कारण भुगतान (आंतरिक जलमार्ग, सड़क, रेलवे, पाईपलाईन परिवहन तथा अन्य)
		एस0221	परिवहन के अन्य प्रकारों के तहत यात्री किराये के कारण भुगतान (आंतरिक जलमार्ग, सड़क, रेलवे, पाईपलाईन परिवहन तथा अन्य)
		एस0222	हवाई मार्ग द्वारा डाक और कुरीयर सेवाएं
		एस0223	समुद्र मार्ग द्वारा डाक और कुरीयर सेवाएं
		एस0224	अन्य मार्ग द्वारा डाक और कुरीयर सेवाएं
2	यात्रा	एस0301	कारोबारी यात्रा
		एस0303	तीर्थ यात्रा
		एस0304	चिकित्सा/इलाज के लिए यात्रा
		एस0305	शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, होस्टॅल खर्चे, आदि सहित)
		एस0306	अन्य यात्रा (हॉलिडे ट्रिप तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के लेनदेनों के लिए भुगतान सहित)
3	निर्माण सेवाएं	एस0501	विदेश में परियोजना स्थान पर माल के आयात सहित भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में परियोजनाओं का निर्माण
		एस0502	भारत में विदेशी कंपनयों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के निर्माण, आदि की लागत
4	बीमा और पेंशन सेवाएं	एस0601	मीयादी बीमा से भिन्न जीवन बीमा प्रीमियम
		एस0602	माल के आयात तथा निर्यात से संबंधित माल भाड़ेगत बीमा
		एस0603	पुन: बीमा प्रीमियम सहित अन्य सामान्य बीमा प्रीमियम; तथा मीयादी जीवन बीमा प्रीमियम
		एस0605	बीमा पर कमीशन सहित सहायक सेवाएं
		एस0607	गैर-जीवन बीमा का बीमा दावा निपटान; और जीवन बीमा (केवल मीयादी बीमा)

		एस0608	जीवन बीमा दावा निपटान
		एस0609	मानकीकृत गारंटी सेवाएं
		एस0610	पेंशन निधियों के लिए प्रीमियम
		एस0611	आवधिक पेंशन हक़दारी अर्थात भारतीय पेंशन निधि कंपनियों द्वारा पेंशन राशियों का मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक भुगतान
		एस0612	मानकीकृत गारंटियों का आह्वान
5	वित्तीय सेवाएं	एस0701	निवेश बैंकिंग से भिन्न वित्तीय मध्यस्थता - बैंक प्रभार, वसूली प्रभार, साखपत्र (एलसी) प्रभार, आदि
		एस0702	निवेश बैंकिंग - दलाली, हामीदारी कमीशन, आदि
		एस0703	सहायक सेवाएं - परिचालन और विनियामक फीस, अभिरक्षण सेवाएं, निक्षेपागार सेवाएं, आदि पर प्रभार
6	दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवाएं	एस0801	हार्डवेयर परामर्श कार्य/कार्यान्वयन
		एस0802	सॉफ्टवेयर परामर्श कार्य /कार्यान्वयन
		एस0803	डाटा बेस, डाटा प्रोसेसिंग प्रभार
		एस0804	कंप्यूटर और साफ्टवेयर की मरम्मत तथा रखरखाव (मेंटीनेंस)
		एस0805	समाचार एजेंसी सेवाएं
		एस0806	अन्य सूचना सेवाएं-समाचार पत्रों और आवधिक पत्रिकाओं के लिए अभिदान
		एस0807	आफ-साइट साफ्टवेयर आयात
		एस0808	इलेक्ट्रानिक मेल सवाओं और वाइस मेल सेवाओं सहित संचार सेवाएं
		एस0809	स्पेस शटल तथा रॉकेटस्, आदि सहित सैटेलाइट सेवाएं
7	प्रज्ञात्मक (बौध्दिक) संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	एस0901	विशेष विक्रय अधिकार (फ्रेंचाइजी) सेवाएं
		एस0902	लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से ओरिजिनल अथवा प्रोटोटाइप उत्पाद (जैसे पांडुलिपि और फिल्म), पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज, आदि के उपयोग करने के संबंध में भुगतान
8	अन्य कारोबारी सेवाएं	एस1002	व्यापार संबंधी सेवाएं – निर्यात / आयात पर कमीशन
		एस1003	चार्टर हायर सहित ऑपरेटिंग क्रू के बगैर परिचालनात्मक लीज़िंग सेवाएं (वित्तीय लीज़िंग से इतर) - हवाई कंपनियां
		एस1004	कानूनी सेवाएं
		एस1005	लेखा, लेखा-परीक्षा, बुक कीपिंग सेवाएं
		एस1006	कारोबार तथा प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाएं
		एस1007	विज्ञापन, व्यापर मेला सेवा
		एस1008	अनुसंधान और विकास सेवाएं

		एस1009	वास्तुशिल्पीय सेवाएं
		एस1010	कृषि सेवाएं जैसे कीड़े और बीमारियों से सुरक्षा और फसल उत्पादन में वृद्धि, वानिकी सेवाएं
		एस1011	विदेश स्थित कार्यालयों के रखरखाव के लिए भुगतान
		एस1013	पर्यावरण सेवाएं
		एस1014	इंजीनियरिंग सेवाएं
		एस1015	कर परामर्श सेवाएं
		एस1016	मार्केट रिसर्च और जनमत सर्वेक्षण सेवाएं
		एस1017	प्रकाशन और छपायी सेवाएं
		एस1018	खनन सेवाएं जैसे ऑन-साइट प्रोसेसिंग सेवाएं अयस्क का विश्लेषण
		एस1020	कमीशन एजेंट सेवाएं
		एस1021	थोक और खुदरा व्यापार सेवाएं
		एस1022	चार्टर हायर सहित ऑपरेटिंग क्रू के बगैर परिचालनात्मक लीज़िंग सेवाएं (वित्तीय लीज़िंग से इतर) – नौवहन कंपनियां
		एस1023	वैज्ञानिक/स्पेस सेवाओं सहित अन्य तकनीकी सेवाएं
		एस1099	अन्य सेवाएं जो अन्यत्र कहीं भी शामिल नहीं है
9	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं	एस 1101	दृश्य-श्रव्य और संबंधित सेवाएं जैसे चल चित्र तथा वीडियो टेप निर्माण, वितरण तथा प्रक्षेपण सेवाएं
		एस 1103	रेडियो तथा टेलिविजन उत्पाद, वितरण तथा प्रसारण सेवाएं
		एस 1104	मनोरंजन सेवाएं
		एस 1105	संग्रहालय, पुस्तकालय और अभिलेखागार सेवाएं
		एस 1106	मनोरंजन और खेल-कूद कार्यकलाप सेवाएं
		एस 1107	शिक्षा (अर्थात विदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए शुल्क)
		एस 1108	स्वास्थ्य सेवा (अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल से प्राप्त की गयी सेवाओं तथा दूरस्थ (रिमोटली) और मौके पर (ऑन-साइट) प्रदान की गयी इस प्रकार की सेवाओं के लिए भुगतान
		एस 1109	अन्य व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएं
10	सरकारी विप्रेषण जो कहीं और शामिल नहीं किया गया है	एस1201	विदेशों में भारतीय दूतावासों के रखरखाव हेतु विप्रेषण
		एस1202	विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में विप्रेषण
11	सेकेंडरी आय	एस1301	परिवार के रखरखाव और बचत हेतु विप्रेषण
		एस1302	व्यक्तिगत उपहारों और दान के लिए विप्रेषण

		एस1303	विदेशों में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को दान के लिए विप्रेषण
		एस1304	अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थाओं को वित्तीय सहायता और दान के लिए विप्रेषण
		एस1305	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सरकार द्वारा अंशदान/दान
		एस1306	कर के भुगतान/वापसी के लिए विप्रेषण
		एस1307	व्यक्तिगत सामान सहित प्रवासियों के स्थानांतरण के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह (विप्रेषण)
12	प्राथमिक आय	एस1401	कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति
		एस1402	अनिवासी जमा (एफसीएनआर(बी)/एनआर(ई)आरए, आदि) खातों पर उपचित ब्याज के लिए विप्रेषण
		एस1403	अनिवासियों द्वारा दिए गए ऋणों (एसटी/एमटी/एलटी ऋण) उदाहरणार्थ बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, आदि पर उपचित ब्याज के लिए विप्रेषण
		एस1405	प्राधिकृत व्यापारियों के अपने खाते पर देय ब्याज के लिए विप्रेषण (वॉस्ट्रो खाते धारकों अथवा नॉस्ट्रो खाते पर ओवरड्राफ्ट) के लिए विप्रेषण
		एस1408	भारत में एफडीआई एण्टरप्राइजेस द्वारा लाभ का विप्रेषण (बैंक शाखाओं सहित विदेशी कंपनियों की शाखाओं द्वारा)
		एस1409	भारत में एफडीआई एण्टरप्राइजेस (शाखाओं से भिन्न) द्वारा ईक्विटी और निवेश निधि शेयरों पर प्राप्त लाभांशों का विप्रेषण
		एस1410	भारत में एफडीआई एण्टरप्राइजेस द्वारा विदेश में अपनी मूल कंपनी को ब्याज का भुगतान
		एस1411	भारत में पोर्टफोलियो निवेशगत ब्याज आय का विप्रेषण
		एस1412	ईक्विटी और निवेश निधि शेयरों पर भारत में पोर्टफोलियो निवेशगत लाभांशों का विप्रेषण
13	अन्य	एस1501	निर्यात के कारण वापसी/छूट/बीजक मूल्य में कमी
		एस1502	गलत प्रविष्टियों का उलटना (ठीक करना), गैर-निर्यात के बाबत विप्रेषित राशि की वापसी (refund)
		एस1503	अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के लिए निवासियों द्वारा भुगतान
		एस1504	अप्रयोजनमूलक (Notional) बिक्री जब विनिमेय/खरीदे/बट्टे खाते डाले गए निर्यात बिलों को अस्वीकृत/धारित/रद्द किया गया हो और उचंत खाते से प्रतिवर्तित किया गया हो
		एस1505	समझे (माने) गए आयात (सेज, ईपीजेड तथा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के बीच निर्यात)

14	रखरखाव और मरम्मत सेवाएं अर्थात n.i.e.	एस1601	जहाज, पोत, नौका, युद्ध पोत, आदि के लिए प्रदान की गयी रखरखाव और मरम्मत सेवाओं के कारण भुगतान
		एस1602	एअरक्राफ्टस्, स्पेस शटलस्, रॉकेटस्, मिलिटरी एअरक्राफ्टस्, हेलिकॉप्टरस्, आदि के लिए प्रदान की गयी रखरखाव और मरम्मत सेवाओं के कारण भुगतान
15	विनिर्माण सेवाएं (प्रसंस्करण के लिए माल)	एस1701	माल के प्रसंस्करण के लिए भुगतान

अनुबंध - 3

(मास्टर परिपत्र का पैरा 12.18)

निवासी व्यक्तियों के लिए 75,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-व-घोषणा

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

ए. नाम

बी. पता

सी. खाता सं.

डी. स्थायी खाता संख्या (PAN)

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2. प्रयोजन

III. निधियों का स्रोत

IV. लिखत का प्रकार

ड्राफ्ट --
प्रत्यक्ष विप्रेषण--

V. ....वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 20.. में योजना के तहत किए गए प्रेषण के ब्योरे

दिनांक : ___________ राशि ___________

VI. हिताधिकारी के ब्योरे

1. नाम :---
2. पता :--
----
3. देश

*4. बैंक का नाम और पता--

*5. खाता सं.---

*(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में विप्रेषण सीधे जमा किया जाना है)*

आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप मेरे खाते को नाम डालें और विदेशी मुद्रा का विप्रेषण करें/उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

घोषणा

मैं, ... एतद्वारा घोषणा करता/करती

(नाम)

हूं कि आवेदनपत्र की मद सं.V के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई अथवा विप्रेषित की गई विदेशी मुद्रा 75,000 अमरीकी डॉलर (पचहत्तर हजार अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त विप्रेषण के लिए इस्तेमाल किए गए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर (नाम)-------------------------------

आवेदक के असली (natural) संरक्षक के हस्ताक्षर @

नाम--------------------------------

@ यदि आवेदक अवयस्क है तो आवेदन पत्र अवयस्क के असली (natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए ।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/ को नहीं किया जा रहा है और यह कि विप्रेषण इस योजना के तहत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

स्टाम्प और मोहर

अनुबंध - 4

रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियां

ब्योरा	अवधि	संदर्भ सं.
निवासी व्यक्ति के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	मासिक	4 अप्रैल, 2008 का ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.36 (कृपया अनुबंध-6 देखें)

अनुबंध-5

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश
भारत से विविध विप्रेषणों के संबंध में मास्टर परिपत्र -निवासियों के लिए सुविधाएं

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी अधिनियम/ विनियमों/ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

विभिन्न लेनदेनों, विशेषकर चालू खाते के लिए विप्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेज़ों का निर्धारण रिज़र्व बैंक नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार , किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के पहले,प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से घोषणा और अन्य ऐसी जानकारी प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त जानकारी/ दस्तावेज़ों को रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखें।

यदि व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो, उसे लिखित रूप में लेनदेन करने से इंकार किया जाएगा। जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो, वह रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना दें।

समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी आवश्यकताओं अथवा अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले दस्तावेज़ों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 3 के अनुसार, उसकी अनुसूची I में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण निषिद्ध है।

नियमावली की अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं बशर्ते आवेदक ने लेनदेन के लिए भारत सरकार, के मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है।

अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के संबंध में, जहां आवेदित विप्रेषण अनुसूची में दर्शाए गए अथवा अनुसूची III में शामिल अन्य लेन-देनों , जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, से अधिक है, यदि कोई हो, तो रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। फिर भी निवासी व्यक्ति को योजना की शर्तों के अनुपालन अधीन विप्रेषण की अतिरिक्त राशि के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। सभी अन्य चालू

लेन-देन, जो नियमावली के तहत विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं अथवा जो अनुसूची II अथवा अनुसूची III में शामिल नहीं हैं, के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी, बगैर किसी मौद्रिक/प्रतिशत सीमाओं के विप्रेषण की अनुमति दे सकता है। अनुसूची III में शामिल लेन-देनों के लिए उसमें निर्धारित सीमा तक प्राधिकृत व्यापारी अनुमति दे सकते हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 9 अक्तूबर , 2002 के उनके परिपत्र सं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को प्रेषण की अनुमति देगा (26 नवंबर 2002 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 देखें)।

2. स्वत: घोषणा के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी किसी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर जोर दिए बगैर , किंतु लेन-देनों के मूल ब्योरों और फार्म अ 2 में आवेदन की प्रस्तुति को शामिल करते हुए (i) विदेश में नौकरी, (ii) उत्प्रवास (इमीग्रेशन), (iii) विदेश में रहनेवाले निकट रिश्तेदारों के जीवन-निर्वाह, (iv) विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, और (v) विदेश में चिकित्सा कराने के लिए 100,000 अमरीकी डालर के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान आवेदक द्वारा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा उसके खाते के नामे डालकर किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी दिनांक 10 दिसंबर 2008 के हमारे ए.पी.(डीआइआर) परिपत्र सं. 40 नियत किये अनुसार कार्ड धारकों के क्रेडिट/डेबिट/प्रि-पेड कार्ड के जरिए भी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के एक या एक से अधिक निजी दौरों के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर तक अथवा उसके समतुल्य राशि जारी किए जाने की वर्तमान सुविधा स्वत:घोषणा के आधार पर जारी रहेगी

3.कम मूल्य वाले विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी सभी अनुमत चालू खाता लेन-देनों के लिए अधिकतम 5,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी **अनुबंध – 2** में दर्शाए अनुसार **सरलीकृत आवेदन व घोषणा** (फार्म ए-2) प्राप्त करें।

4. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेनों अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत विप्रेषण की अनुमति है।

योजना के तहत सुविधा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में पहले ही शामिल की गई सुविधा के अतिरिक्त है। इस योजना के अंतर्गत उपहार तथा दान के लिए विप्रेषण शामिल किया गया है।

योजना के तहत, निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत के बाहर शेयर अथवा ऋण लिखत अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। वे भारत के बाहर बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोल, रख और धारित भी कर सकते हैं। फिर भी, योजना के तहत, समुद्रपारीय मंडियों (एक्स्चेंजों)/ समुद्रपारीय प्रतिपक्षों को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए भारत से विप्रेषण की अनुमति नहीं है।

व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करना होगा जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी विप्रेषण किए जाएंगे। इस योजना के तहत विप्रेषणों के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) होना अनिवार्य है ।

निवासी व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराते समय प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खातों के संबंध में, **" अपने ग्राहकों को जानिए "** मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित किया जाता है। उन्हें इस सुविधा की अनुमति देते समय प्रचलित **धनशोधन निवारक नियमों** का भी अनुपालन किया जाना चाहिए।

आवेदकों का विप्रेषण के पूर्व कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास बैंक खाता होना चाहिए। विप्रेषण की इच्छा रखनेवाला आवेदक यदि बैंक का नया ग्राहक है, तो प्राधिकृत व्यापारी खाता खोलते, परिचालित करते और रखते समय समुचित सावधानी बरते। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी निधियों के स्रोत के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आवेदक से पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करें। यदि ऐसा बैंक विवरण उपलब्ध न हो, तो अद्यतन आयकर निर्धारण आदेश अथवा आवेदक द्वारा दाखिल रिर्टन प्राप्त किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि विप्रेषण की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति की निधियों में से, भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक अथवा उसके खाते नामे डालकर अथवा डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के जरिए प्राप्त किया जाता है। इस योजना के तहत विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक, निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध न कराएं।

इस योजना के अंतर्गत विप्रेषणों को सामान्य अवधि में आर-विवरणी में रिपोर्ट किया जाएगा। 25000 अमरीकी डालर से अधिक के विप्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी डमी (dummy) फार्म ए-2 तैयार करें और रिकार्ड में भी रखें। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी **मासिक आधार** पर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (ईपीडी), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को योजना के तहत आवेदकों की संख्या और विप्रेषित कुल राशि की जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे।

अनुबंध -6

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 12.20)

[4 अप्रैल, 2008 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36]

<u>फार्मेट</u>

दिनांक ------- को समाप्त माह के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए विप्रेषण के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

बैंक का नाम :

क्रम सं.	विप्रेषण का प्रयोजन	आवेदकों की संख्या	विप्रेषित राशि (अमरीकी डालर में)
1.	जमा		
2.	अचल संपत्ति की खरीद		
3.	ईक्विटी/ऋण में निवेश		
4.	उपहार		
5	दान		
6.	यात्रा(ट्रैवेल)		
7.	निकट संबंधियों का भरण-पोषण		
8.	चिकित्सा इलाज		
9.	विदेश में अध्ययन		
10.	अन्य(कृपया स्पषट उल्लेख करें, आवश्यकतानुसार अलग से शीट संलग्न करें)		
कुल			

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्टाम्प और मुहर

इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची
भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ ApCirculare Display.aspx

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS _FemaNotifications.aspx

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	1 जून, 2000
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	30 अक्तूबर, 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	16 नवंबर, 2000
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	13 नवंबर, 2000
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	23 नवंबर, 2000
6.	ईसी.सीओएफएमडी.599/18.08.01/2001-02	21 जनवरी, 2002
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून, 2002
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	12 सितंबर, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	12 सितंबर, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	1 नवंबर, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	18 नवंबर, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	23 नवंबर, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	25 नवंबर, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	26 नवंबर, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	24 दिसंबर, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	6 जनवरी, 2003
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	24 जनवरी, 2003
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.103	21 मई, 2003
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	17 जुलाई, 2003
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	12 अगस्त, 2003
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	16 अगस्त, 2003
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	13 नवंबर, 2003
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	23 दिसंबर, 2003
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	4 फरवरी, 2004
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	20 फरवरी, 2004
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	24 फरवरी, 2004
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.77	13 मार्च, 2004
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.86	17 अप्रैल, 2004

29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	3 मई, 2004
30	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	25 अक्तूबर, 2004
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	31 मार्च, 2005
32	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	14 जून, 2005
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	6 मार्च, 2006
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	17 नवंबर, 2006
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	28 नवंबर, 2006
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	20 दिसंबर, 2006
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	05 अप्रैल, 2007
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	18 मई, 2007
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	26 सितंबर, 2007
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36	4 अप्रैल, 2008
41.	विदेश मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000	3 मई 2000(और अनुवर्ती संशोधन) (कृपया पेज नं. 28 देखें)
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	8 सितंबर, 2008
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	10 दिसंबर, 2008
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	5 अक्तूबर, 2009
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	5 अक्तूबर, 2009
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	4 मई, 2010
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	13 मई, 2010
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	22 दिसंबर 2010
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	5 अप्रैल 2011
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	16 सितंबर 2011
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18	16 सितंबर 2011
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	10 अक्तूबर 2011
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	19 अक्तूबर 2011
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	6 मार्च 2012
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.102	2 अप्रैल 2012
56.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.118	7 मई 2012
57.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.106	23 मई 2013
58.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	14 अगसत 2013
59.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 32	4 सितंबर 2013

परिशिष्ट-2

1. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 की धारा 5

चालू खाता लेनदेन

कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेच सकता है अथवा उससे आहरित कर सकता है यदि ऐसी बिक्री अथवा आहरण चालू खाता लेन-देन है।

बशर्ते लोक हित में और रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार चालू खाता लेनदेनों के लिए ऐसे यथोचित प्रतिबंध , जैसा कि निर्धारित किया जाए, लगाए।*(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)*

2. एफईएम (सीएटी) नियमावली, 2000 का नियम 3

विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध- निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध है अर्थात :-

(ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन; अथवा (बी) नेपाल और / अथवा भूटान की यात्रा अथवा (सी) नेपाल अथवा भूटान में किसी निवासी व्यक्ति के साथ लेनदेन; बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा अनुबद्ध शर्तों के अधीन, जैसा वह आवश्यक समझे, खंड(सी) के प्रतिबंध में छूट दी जाए। ***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.4)***

3. फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5)

किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने से पहले किसी प्राधिकृत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा करने को कहे और ऐसी जानकारी देने को कहे जो उसे पर्याप्त रूप से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम,नियमावली,अधिसूचना,निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा अपवंचन में शामिल नहीं होगा और जहां उपर्युक्त व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा के अनुपालन से इंकार करता है अथवा उसका केवल असंतोषजनक अनुपालन करता है,तो प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन करने से लिखित रूप में मना करेगा और यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त कोई ऐसा उल्लंघन अथवा अपवंचन करने का इरादा है तो उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दी जाए। ***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 14.1)***